

सं. 402/92/2006-एमसी (2008 का 46)
भारत सरकार/वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 30th सितंबर 2008

प्रेस विज्ञप्ति

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण सरकारी सेवकों को दिए गए वेतन के बकाया पर स्रोत पर कर कटौती के संबंध में स्पष्टीकरण

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यान्वयन कक्ष ने अपने कार्यालय आदेश एफ. संख्या 1/1/2008-आईसी दिनांक 30 अगस्त, 2008 में पैरा 2 (v) में कहा है
" 1 जनवरी, 2006 से 31 अगस्त, 2008 तक की अवधि के वेतन और भत्तों के बकाया के संबंध में बिल अलग से तैयार किए जा सकते हैं। संशोधित वेतन के संदर्भ में जीपीएफ और एनपीएस की बढ़ी हुई दरों पर सदस्यता की कटौती के बाद गणना की गई कुल बकाया राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जा सकता है, पहली किस्त कुल बकाया के 40% तक सीमित होगी। डीडीओ/पीएओ यह सुनिश्चित करेंगे कि बढ़ी हुई सदस्यता की दिशा में सरकार के योगदान के संबंध में एक साथ कार्रवाई की जाए। बकाया राशि की दूसरी किस्त के भुगतान के संबंध में आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। "

2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्पष्टीकरण की मांग की गई है कि क्या 2008-09 के दौरान भुगतान किए जाने वाले 40% बकाया पर टीडीएस काटने की आवश्यकता है या फिर सरकारी कर्मचारी को देय संपूर्ण बकाया पर। सीबीडीटी द्वारा मामले की जांच की गई है और इस मुद्दे को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया गया है: -

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15 के तहत वेतन की परिभाषा इस प्रकार है:-

- किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से किसी करदाता को पिछले वर्ष में देय कोई वेतन, चाहे भुगतान किया गया हो या नहीं;
- किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से उसे पिछले वर्ष में भुगतान किया गया या दिया गया कोई वेतन, यद्यपि वह देय न हो या देय होने से पहले हो;
- किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से पिछले वर्ष में उसे **भुगतान किए गए या स्वीकृत किए गए वेतन** का कोई बकाया, यदि किसी पिछले पिछले वर्ष के लिए आयकर नहीं लगाया गया है।

3. व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन से यह स्पष्ट है कि वेतन बकाया का 60% न तो देय की श्रेणी में आता है और न ही इसकी अनुमति है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम '61 की धारा 192, अन्य बातों के साथ-साथ, "वेतन" मद के तहत देय किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को **भुगतान** के समय निर्धारित दर पर देय राशि पर आयकर काटने की आवश्यकता होती है। इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान वास्तव में भुगतान किए गए वेतन के बकाया से ही स्रोत पर आयकर की कटौती धारा 192 के तहत की जाएगी। शेष राशि पर, उस वित्तीय वर्ष के दौरान कर की कटौती की जाएगी जिसमें ये वेतन बकाया वास्तव में भुगतान किए गए हैं।

4. उपरोक्त स्पष्टीकरण सीबीडीटी द्वारा परिपत्र संख्या 9/2008 [एफ.सं.275/192/2008-आईटी(बी)] दिनांक 29 सितंबर, 2008 के तहत जारी किया गया है।